



सेवा में,

कार्यालय, प्रमानीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक १९९९ / १२-१ देहरादून, दिनांक १३ मार्च, २०१९

अधिकांसी अभियन्ता,

ग्रामीय खण्ड, लोनिविडो,

देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहस्रपुर में ग्राम पंचायत रिखौली के हल्द्वाला से ग्राम पंचायत-चौकी विरावली तक सड़क सहित मोटर मार्ग में आने वाली १.०७.५२ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्वतारोह, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-८६१/सू०सी०पी०/०६/२०/२०१६/एफ०सी०/१९८० दिनांक-१८.१२.२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर, कार्पेट कालोनी देहरादून को सम्बोधित तथा कार्यालय एवं आपकी भी पहुँचाई है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

विषयवर्तिक प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अन्तर्भावित ०५ शाली/प्रतिबन्धी का अनुपालन करते हुए निम्न धनराशि लेखा संख्या-ए०सी०पी०-२५२२९ का परिचयन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) खाता-११ भूतल सी०जी०आ० का भुगतान करवा दिया है।

कैब-१, लोदी रोड नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (विषय जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् ए०सी०पी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया है) उपलब्ध

कराने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार निम्न शाली के अनुपालन में देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	क्षेत्रफल हे० में	घनत्व	इको क्लास	दर/हे०	धनराशि
वनीकरण एवं १० वर्षों का रखरखाव	२.१५०४	-	-	२७८६६५.००	५९९२४१.००
ए०सी०पी०	१.०७५२	०.२	१	७३००००.००	७८४८९६.००

शाली संख्या-१ के अनुसार प्रत्यावर्तित भूमि के बदले २.१५०४ हे० ग्राम-शिवा के चेतारधार स्थित सोम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए वृक्षारोपण स्थित) जमा की जायेगी।

शाली संख्या-२ के अनुसार प्रत्यावर्तित धनराशि द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक-०५.१२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुरु वर्तमान मूल्य (ए०सी०पी०) की निधारित धनराशि जमा की जानी है।

इसी प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति की शाली संख्या-३ के अनुसार शुरु वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रत्यावर्तित प्रत्यावर्तित धनराशि द्वारा जमा की जायेगी। इस आधार की प्रत्यावर्तित धनराशि द्वारा वन

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो

बढ़ती है तो